...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्ब... अह... हुक्म... जारी...
29/12/25	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया। आखिर पत्रावली लिखा गया। पत्रावली फैसला मुताबिक होकर नियम के काम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–41/25 तारीख रजु:–3.9.25

उनवान

ठाकुर जी कल्याण राय जी विराजमान मंदिर कल्याण राय जी राजमहलों के सामने चौबेपाडा करौली तहसील व जिला करौली जरिये अहतमाम पुजारी नेक्स्ट फ्रेण्ड सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी राजमहलों के सामने चौबेपाडा करौली

–वादी

बनाम

1. ब्रम्हप्रकाश पुत्र हुकम चंद आयु .... साल जाति तेली निवासी करौली तहसील व जिला करौली
2. लेखराज पुत्र हुकमचंद आयु ...... साल जाति तेली निवासी करौली तहसील व जिला करौली
3. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, किये जाने इन्द्राज खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :–29/12/25

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नम्बर 8260 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा बारानी ए व खसरा नम्बर 8261 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा बारानी ए कुल किता 2 कुल रकवा 3 बीघा 6 विस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का 10 वादी ठाकुर जी कल्याण राय जी विराजमान मन्दिर कस्बा करौली की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। ठाकुर जी कल्याण राय जी द्वारा उक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण को, प्रतिवादीगण के पिता हुकमचन्द व पूर्वज पौलू ... कौम तेली को विधी की किसी भी रीति से हस्तान्तरित नहीं किया गया है ... हस्तान्तरण पत्र विधीवत पंजीयन नही करवाया गया है। ठाकुर जी कल्याणराय जी के पुजारी व व्यवस्थापक छीतरराम, कल्याण प्रसाद पितामह–सतीश कुमार द्वारा भी विधि की किसी भी रीती से प्रतिवादीगण व पौलू पुत्र दुर्गा तेली के हक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

हस्तान्तरण पत्र पंजीयन नही कराया है। ठाकुर जी कल्याणराय जी शास्वत नावालिग हैं जिसकी भूमि जिला न्यायालय की इजाजत के बिना हस्तान्तरण नही हो सकती हैं। इस प्रकार पौलू पुत्र दुर्गा तेली निवासी करौली एवं प्रतिवादीगण के हक में हो रहे जमाबंदी इन्द्राज ठाकुर जी कल्याण राय जी के हक हकूक खातेदारी अधिकार पर प्रभावहीन व शून्य है। वादी पर बाध्यकारी नही हैं। वादी उक्त आराजीयात के खातेदारी इन्द्राज ठाकुर जी कल्याणराय जी विराजमान राजमहलों के सामने चौबेपाडा करौली के हक में खातेदारी घोषणा करोन के एवं राजस्व रिकार्ड ऑफ राईटस जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज कराने के विधिकतौर पर अधिकारी है। प्रतिवादीगण यह भली भांति जानते है कि वादग्रस्त भूमि ठाकुर जी कल्याणराय जी विराजमान मन्दिर कल्याणराय जी राजमहलों के सामने चौबेपाडा करौली की खातेदारी की है और लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) करौली की भी पूर्ण जानकारी व ज्ञान में हैं। ठाकुर जी कल्याणराय जी की भूमि के सम्बन्ध में पौलू पुत्र दुर्गा तेली एवं प्रतिवादीगण के हक में खातेदारी इन्द्राज विधी अनुसार नही हो सकते हैं और प्रतिवादीगण विधिकतौर पर वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नही है। ठाकुर जी कल्याणराय जी शास्वत नावालिग होने से एवं काश्त नही कर मानव द्वारा काश्त कराते है। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी कल्याणराय जी की भूमि पर किसी मनुष्य को काश्त करने मात्र से खातेदारी अधिकार विधिकतौर पर प्राप्त नही होते हैं। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार को यह जानकारी होते हुए भी कि भूमि के खातेदार ठाकुर जी कल्याण राय जी है फिर भी प्रतिवादीगण के विरूद्व रैफरेन्स कार्यवाही जानबूझकर नही की है जबकि प्रतिवादी नं० 3 लैण्ड होल्डर को विधिक दायित्व था कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के हक में उनके पूर्वज पौलू पुत्र दुर्गा तेली के हक में हुए कृषक के तौर पर इन्द्राज बिला आधार हैं, अनाधिकार हैं, हक हकूक वादी पर प्रभावहीन व शून्य हैं। वादी विवादग्रस्त आराजीयात की अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी [illegible] करवाने का अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण के हक में अ[illegible] रिकार्ड में हो रहे कृषक इन्द्राज के कारण प्रतिवादी[illegible] [illegible]न्ति आ रही है और वादग्रस्त भूमि को मोटी रकम लेकर विक्रय कर[illegible]र उतारू हो रहे हैं। प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने भू माफीयाओं से बातचीत प्रारम्भ कर दी है और पैसो

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

के बल पर भूमि विक्रय कराकर भूमि अकृषी में परिवर्तित कराकर आवासीय उपयोग मे लेने पर भूमि को नष्ट करने पर हस्तान्तरण करने पर ठाकुर जी कल्याणराय जी को नाजायज नुकसान पहुचानें को उतारू है। प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही होने पर वादी ने दिनांक 26.2.2012 के दिवस प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 से वादग्रस्त भूमि ठाकुर कल्याण राय जी की भूमि को बेचान नही करने हस्तान्तरण नही करने को बेचान हस्तान्तरण व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण पत्र पंजीकृत नही कराने को भूमि को अकृषी उपयोग में परिवर्तित नही करने को कहा तब प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम भूमि बेचान करके रहेंगे और ऐसे भूमाफीया व्यक्ति को बेचान करेंगे कि आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही कर पायेगें। प्रतिवादीगण की उक्त कार्यवाही से हक हकूक वादी पर भारी आघात होगा वादी को अपूरणीय क्षति होगी ठाकुर जी के राग भोग, सेवा पूजा की व्यवस्था प्रभावित होगी। ठाकुर जी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगें ठाकुर जी की भूमि जनहित भूमि होती हैं ठाकुर जी वादी के हक में एवम् प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। प्रतिवादीगण की अनाधिकृत कार्यवाही के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर प्रतिवादी नं0 3 लैण्ड होल्डर को सब रजिस्ट्रार करौली को निवेदन किया हैं परन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नही हुई हैं। प्रतिवादीगण हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन करा देंगे। विवादित भूमि कृषी भूमि हैं जो आवासीय भूमि में परिवर्तित कर देंगे एवं नष्ट कर देंगे तथा मंदिर ठाकुर जी को भूमि से वचित कर देगें। मंदिर को भूमि लाभ नही लेने देगे। जिससे मन्दिर वादी के हक हकूक खातेदारी पर भारी आघात होगा अपूरणीय क्षति होगी एवं वेजा मुकदमेंवाजी बढेगी। वादी सतीश मन्दिर ठाकुर जी का पुजारी है, ठाकुरजी के राग भोग की व्यवस्था करता हैं तथा मन्दिर ठाकुर जी का हित चिन्तक हैं वादी को वाद दायर करने का विधिक अधिकार हैं। विनाय मुखासमत दिनांक 26.2.2012 को दिवस वादी द्वारा प्रतिवादीगण [illegible] हस्तान्तरण नही करने को, हस्तान्तरण दस्तावेज [illegible] प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने ऐलानिया भूमि [illegible] दस्तावेज पंजीयन कराने की भूमि को अकृषी उपयोग में परिवर्तित कराने की ऐलानिया धमकी दी हैं। प्रतिवादीगण द्वारा अवैध तौर पर खातेदारी इन्द्राज करा लेने से बदनीयती

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

आयी हैं। इसलिये वादी को यह प्रस्तूत करने का वादकारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उदय हुआ है। दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 8260 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी खसरा नंबर 8261 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा पटवार हल्का 10 कस्बा करौली में स्थित होना सही है जिनके गत नंबर 6320 एवं 6321 है। उक्त आराजी ठाकुर जी श्री कल्याण राय जी महाराज की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में नही रही है, ना आज है। ना ही ठाकुमर जी की ओर से उक्त आराजीयात को कभी भी आज तक काश्त किया गया है। बल्कि उक्त आराजीयात पर कब्जा वाहैसियत खातेदार काश्तकार सेटलमेंट पूर्व से ही पोलू उर्फ पीतू पुत्र दुर्गा जाति तेली निवासी करौली का रहा है और उन्हीं के द्वारा उक्त आराजीयात को वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर अपने जीवन पर्यन्त तक पचासों वर्ष से वाशमूल अपने पुत्रान सावलिया, मंगल, सकट उर्फ पून्या के साथ काश्त की जाती रही और पोलू की मृत्यु के बाद से उक्त आराजीयात पर पोलू के तीनों पुत्रान सांवलियां, मंगल सकट उर्फ पून्या द्वारा वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते रहे। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2015 महत्वहीन है और ना ही उक्त जमाबंदी के आधार पर किसी प्रकार के कोई हकूक खातेदारी ठाकुरी को कानूनन प्राप्त हो सकते है। क्योंकि वक्त सेंटलमेंट से तीसीयों वर्ष पूर्व से ही उक्त आराजीयात पर कब्जा वाहैसियत खातेदार काश्तकार पोलू उर्फ पीतू पुत्र दुर्गा तेली निवासी करौली का था और उन्हीं के द्वारा जीवन पर्यन्त तक काश्त की जाती रही। माफी जब्त हो जाने के पश्चात उक्त आराजीयात के खातेदारी इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड में विधि अ[illegible]से–आम पोलू उर्फ पीतू पुत्र दुर्गा तेली के नाम द[illegible] इन्द्राजात की पूर्णतः जानकारी शिरू से लेकर [illegible] एवं इनके पूर्वजों को रही है। कभी भी उक्त आराजीयात के खातेदारी [illegible]न्द्राजात बाबत सतीश कुमार एवं इनके पूर्वजों द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया। ना ही किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार का कोई हकूक ठाकुर जी श्री कल्याण राय जी महाराज के उक्त आराजीयात के बाबत आज तक नहीं रहे है, ना आज है। केवल अपने निजी स्वार्थवश ठाकुर जी की ओर से सतीश कुमार शर्मा पुत्र लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा उक्त आराजीयात की कीमत वस्ती के नजदीक हो जाने के कारण यह दावा पेश किया गया है। जबकि इनका एवं इनके पूर्वजों का कभी भी हित आज तक ठाकुरजी के हितों के साथ नही रहा है, ना आज है। सरकारीलगान भी शुरू से लेकर आज तक पोलू तेली द्वारा जीवन पर्यन्त तक और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रान सामलिया वगै0 द्वारा और उसके बाद हम प्रार्थीगण द्वारा अदा की जाती रही है। जिस आराजीयात के संपूर्ण रकबे को पोलू के पुत्रान सावलियां, मंगल, सकट उर्फ पून्या द्वारा वाहैसियत खातेदार काश्तकार दिनांक 30 जून 1984 को सावलिया द्वारा अपने–अपने 1/3 हिस्से को मुझ प्रतिवादी नंबर 1 को मजमेआम विक्रय करके कब्जा संभलवा दिया गया, जिसका विधिवत वयनामा पंजीयन सकट उर्फ पून्या द्वारा सब रजिस्ट्रर महोदय करौली के यहां से 4.7.1984 को एवं सांवलिया द्वारा 19.7.1984 को प्रतिवादी नंबर 1 के हक में पेजीयन करा दिया गया एवं मंगल पुत्र पीतू द्वारा अपने 1/3 हिस्से की आराजी का रजिस्टर्ड वयनामा 31.12.1987 को प्रतिवादी नंबर 2 के हक में तहरीर तकमील कराकर उसको 2 जनवरी सन 1988 को उप पंजीयक महोदय करौली के यहां से प्रतिवादी नंबर 2 के हक में पंजीयन करा दिया गया। इस प्रकार उक्त आराजीयात पर योम दिनांक खरीद से आज तक कब्जा वाहैसियत खातेदार काश्तकार हम प्रतिवादीगण का चला आ रहा है और हमारे हक में विधिवत नामांतरण उक्त विधिकूल वयनामों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वाजरिए नामांतकरण खोले गये और काश्त करके अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है एवं योम दिनांक खरीद के बाद उक्त आराजी को हजारों रू0 की लागत लगाकर एवं जिस्मानी मेहनत करके हम प्रतिवादीगण द्वारा प्लैन करवाया गया। जन सभी हालातों की पूर्णतः जानकारी शुरू से लेकर [illegible] वादी को रही है। केवल उक्त आराजीयात के इर्द–गिर्द [illegible] के कारण उक्त आराजीयात में आवासीय [illegible] करने के उददेश्य से गलत तथ्यों पर आधारित ठाकुरजी के हितैशी [illegible]र हम गरीब सदभावी क्रेताओं के विरूद्ध उक्त आराजीयात को छीनने की बदनियति से यह दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किया गया है। ठाकुरजी श्री कल्याण राय जी के पूर्व में पुजारी छीतरमल जी रहे या नही जिस बावत हम लाइल्मी है और यदि रहे होंगे तो उनको राज्य सरकार द्वारा तनख्वाह सेवा पूजा करने के बदले में दी जाती रही होगी, इसके अलावा जो ठाकुरजी पर चढावा आता था, उसको भी वह प्राप्त करते रहे होगें और उनके बाद ठाकुरजी की कोई सेवा पूजा एवं रागभोज की व्यवस्था कल्याण प्रसाद, सतीश कुमार वगै0 द्वारा नही की जाती आ रही हैं बल्कि सतीश कुमार का तो शिरू इंटरेस्ट ठाकुरजी के हितों के प्रतिकूल रहा है, पूर्व में ठाकुरजी कल्याण राय जी की ओ से वाएतमाम पुजारी एवं नेक्सफ्रेण्ड बनकर माननीय न्यायालय में दावा उनवानी ठाकुरजी मंदिर श्री कल्याण राय जी बनाम मोतीलाल वगै0. अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत मुकदमा नं0 86/2010 आराजी खसरा नं0 8350, 8351, 8355, 8356 कुल किता 4 कुल रकवा 6 वीघा 8 विस्वा स्थित पटवार हल्का नं0 10 कस्बा करौली के बावत दिनांक 23.12.2010 प्रस्तुत किय गया था, जिस दावे का जिस दावे को ठाकुरजी के हितों के प्रतिकूल अपने निजी स्वार्थवश दिनांक 29.12.2011 को अदम हाजारी एवं अदम पैरवी में प्रतिवादीगण मोती लाल, बाबूलाल, हुकमचन्द पुत्रान भोला एवं कमलेश वेवा कन्हैया निविसीयान बैर का पुरा रनंगवा ताल के पास करौली से साज करके खारिज करवा लिया जिस दावे में सैकेट्री एवं तहसीलदार जी भी पक्षकार मुकदमा थे और उक्त आराजीयात के सम्पूर्ण रकवे 6 वीघा 8 विस्वा में आवासीय कॉलोनी डवलप करके उसमें आवासीय भूखण्ड बनाकर करोडो रूप्ये में विक्रय कर दिये गये है और जिसमें अब आवासीय मकान भूखण्ड केताओं द्वारा बनाना शिरू कर दिया गया है। इस विवादित आराजीयात के पास और स्थित है जिस आराजी में भी ठाकुरजी के हितों के प्रतिकूल उन आराजीयात कॉलोनी बनाकर भूखण्डों को केताओं को विक्रय करना शिरू कर दिया गया है और जिस ठाकुरजी की आराजीयात से लाखो-करोडों रूपयों की आय सतीश चन्द जी द्वारा [illegible] से मिलकर ठाकुरजी के हितों के प्रतिकूल अर्जित की जा रही है ठाकुरजी की आराजीयात के मूल स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है और इसी वरबिनाय बदयान्ति लट्ठ की ताकत से उक्त विवादित आराजीयात में भी आवासीय भूखण्ड बनाने के उददेश्य से हम गरीब कास्तकारों को ठाकुरजी के नाम पर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आराजीयात से बेदखल कराकर आवासीय कॉलोनी बनाना चाहता है जिस बाबत हमारे द्वारा मना की गई तो, उक्त हमारी खातदेारी कब्जेकास्त की विवादित आराजीयात को ठाकुरजी की आराजी बताकर उनकी ओर से यह दावा प्रस्तुत कर दिया गया है, इसलिये यह दावा हर हालत में खारिज होने योग्य हैं। जिसके प्रमाण में पूर्व में आराजी खसरा नं० 8250, 8351, 8355, 8356 कुल किता 4 कुल रकवा 6 वीघा 8 विस्वा के बावत किये गये मुकदमा संख्या 8610 की प्रमाणित प्रतिलिपि एंव उक्त दावे में पारित आदेश 29.12. 2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं आराजी खसरा नं० 8253 व 8354 में बनाये गये आवासीय भूखण्डों के आंशिक नक्शे की फोटो प्रति भी जवाब के साथ प्रस्तुत की जा रही है, जिसका मूल नक्शा स्वयं वादी एवं साविक खातेदारान के पास मौजूद है। पोलू के नाम उक्त आराजी के जो खातेदारी इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारी द्वारा किये गये है वह विधि अनुकूल एवं मजमेआम व वाजानकारी वादी के हैं, जो सेटेलमेंट पूर्व से पुराने कब्जे वाहैसियत खातेदार कास्तकार के रूप में होने के सबव में किये गये है और वादी उक्त आराजीयात की खातेदारी घोषणा अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में कराने का अधिकारी नही है औरये दावा वादी हर हालत में मय खर्चा खारिज होने योग्य हैं। उक्त आराजी के जो खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में पोलू उर्फ पीतू दुर्गा तेली के नाम किये गये वह कानूनन है जो उनके साधिकार कब्जेकास्त के आधार पर माफी जागीर रिजेम्शन होने जाने के बाद विधि अनुकूल किये गये है। जिन विधिपूर्ण खातेदारी इन्द्राजात को वादी निरस्त करवाकर अपने नाम के खातेदारी इन्द्राज घोषणा कराने के अधिकारी नही है और दावा वादी खारिज होने योग्य है। हमारा कभी भी उद्देश्य उक्त आराजी को मोटी रकम लेकर विकय करने का नही रहा है ना ही कभी हमने इस संदर्भ में कोई बातचीत भूमाफियाओं से नही की है। ना ही कोई बातचीत हम प्रतिवादीगण की सतीश चन्द वगै० से तदाकथित दिनांक 23.2.2012 को या अन्य किसी दिनांक को नही हुई है, बल्कि [illegible]दित आराजीयात को स्वयं सतीश चन्द शर्मा ठाकुर[illegible] हम प्रार्थीगण से छीनना चाहता है और इस आराजी में आवासीय कॉलोनी बनाकर भूखण्ड विकय करना चाहता है और इसी ववबिनाय बदयान्ति से इस प्रकार के तथ्य अंकित करके यह झूठे तथ्यों पर आधारित दावा वादी द्वारा हम

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तूत किया गया है, वादी को किसी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति नही है, बल्कि पाबंद किये जाने में अपूर्णीय क्षति हम प्रतिवादीगण को है और पाबंद किये जाने से हम अपने लाफुल अधिकार से वंचित हो जायेगे। बल्कि सही बात यह है कि स्वयं सतीश चन्द द्वारा हम प्रतिवादीगण से दिनांक 26.2.2012 को कहा कि इस आराजी में आवासीय कॉलोनी बनाकर इसमें बने हुये भूखण्डों को विभिन्न केताओं को विकय कर दें। जिस बावत हम प्रतिवादीगण ने मना किया तो उन्होने कहा कि इस आराजी से लगी हुई जो जमीन ऊपर वर्णित खसरा नम्बरान की है उसमें भी तो आवासीय कॉलानी बन गई है, इसलिये अब भला इसी में ही इस आराजी मे आवासीय कॉलोनी बनाकर भूखण्डों को विकय कर दें जिस बावत हम प्रतिवादीगण द्वारा साफ इंकार कर दिया गया तो सतीश चन्द ने कहा कि अब मैं देखता हूं कि तुम इस जमीन में कैसे कास्त करते हो और अब मैं तुम्हारे हक में हुई इस जमीन खातेदारी को निरस्त करवाकर तुम्हें जमीन से बेदखल कराउंगा, करा जोय जा कर लेना। जिस अनाधिकृत कार्यवाही से हकूक प्रतिवादीगण को भारी आघात एवं अपूर्णीय क्षति है। इसलिये हम प्रतिवादीगण वादी को उक्त अनाधिकृत कृत्य ना करने हेतु जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है जिसके लिये यह काउन्टर क्लेम जवाबदावे के साथ पेश यिका जा रहा है, जो अन्दर मियाद है व काविल समाअत हाजा है जिस पर नियमानुसार कोर्ट फीस चस्पा है और दावा वादी मय खर्चा खारिज होने योग्य है। हम प्रतिवादीगण के द्वारा कभी भी उक्त भूमि का दीगर लोगों को हस्तांतरण करने एवं उसमें प्लॉट बगै0 बनाकर अकृषि भूमि के उपयोग उपभोग में परिवर्तन करने की धमकी नही दी गई, बल्कि सतीश चन्द द्वारा उक्त आशय की धमकी उक्त धमकी दी गई थी। वादी को किसी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति नही है। ना ही किसी प्रकार के कोई हकूकों को आघात है। यदि किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जाती है तो प्रार्थीगण के [illegible] भारी आघात एवं अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये दावा वादी [illegible] है और काउन्टर क्लेम डिकी किये जाने योग्य है। वादी को ठाकुरजी की ओर से दावा पेश करने का कोई विधि अधिकार नही है। ना ही यह ठाकुरजी की सेवा पूजा करने हेतु राज सरकार द्वारा नियुक्त पुजारी है, ना ही इसको

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01.41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राज्य सरकार की ओर से देवस्थान विभाग से कोई एन.यू.टी. वगै0 ही मिली है। ना ही उक्त मंदिर वादी एवं उनके पूर्वजों का निजी मंदिर है। पुजारी को मंदिर की प्रोपर्टी के बावत किसी प्रकार के कोई हकूक भी कानूनन प्राप्त नही हो सकते है। जबकि दावा पेशकर्ता सतीश चन्द एवं इनके पूर्वजों के हकूक ठाकुर जी के हितों के प्रतिकूल रहे हैं और इन्होनें ही ठाकुर जी की जमीन जायदाद में उपरवर्णित अनुसार आवासीय भूखण्ड बनाकर दीकर लोगों को साविक खातेदारों से साज करके भूखण्ड वगै0 बनाकर आवासीय कॉलोनी निर्मित की गई है। और भूखण्डधारियों को विक्रय करके उसमें मकान वगै0 उस आराजी मे बन रहे है और इसी उद्देश्य से ठाकुर जी की ओर से किये गये दावों को अदम हाजरी में खारिज करवाया गया हैं। इस प्रकार सतीश चन्द का हित ठाकुरजी के सदैव प्रतिकूल रहा है। ना ही इसे उक्त दावा पेश करने का कानूनी अधिकार है। कोई बिनायदावा वादी के हक में तदाकथित दिनांक को पैदा नही हुआ है। केवल मदगंढत तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया गया है, जो दावा मियाद बाहर है और हर हालत में खारित होने योग्य है।

साक्ष्यवादी एकपक्षीय ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी पीडब्ल्यू–1 सतीश कुमार के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 एवं खतौनी बंदोबस्त संवत 2015 प्रदर्श–2 को पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजीयात खसरा नम्बर 8260 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा बारानी ए व खसरा नम्बर 8261 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा बारानी ए कुल किता 2 कुल र[illegible] 3 [illegible]ा 6 विस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का 10 [illegible] जी विराजमान मन्दिर कस्बा करौली की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। ठाकुर जी कल्याण राय जी द्वारा उक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण को, प्रतिवादीगण के पिता हुकमचन्द व पूर्वज पौलू पुत्र दुर्गा कौम तेली को विधी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

की किसी भी रीति से हस्तान्तरण नही किया है। कोई हस्तान्तरण पत्र विधीवत पंजीयन नही करवाया गया हैं। ठाकुर जी कल्याणराय जी के पुजारी व व्यवस्थापक छीतरराम, कल्याण प्रसाद पितामह–सतीश कुमार द्वारा भी विधि की किसी भी रीती से प्रतिवादीगण व पौलू पुत्र दुर्गा तेली के हक में हस्तान्तरण पत्र पंजीयन नही कराया है। ठाकुर जी कल्याणराय जी शास्वत नावालिग हैं जिसकी भूमि जिला न्यायालय की इजाजत के बिना हस्तान्तरण नही हो सकती हैं। इस प्रकार पौलू पुत्र दुर्गा तेली निवासी करौली एवं प्रतिवादीगण के हक में हो रहे जमाबंदी इन्द्राज ठाकुर जी कल्याण राय जी के हक हकूक खातेदारी अधिकार पर प्रभावहीन व शून्य है। वादी पर बाध्यकारी नही हैं। वादी उक्त आराजीयात के खातेदारी इन्द्राज ठाकुर जी कल्याणराय जी विराजमान राजमहलों के सामने चौबेपाडा करौली के हक में खातेदारी घोषणा करोन के एवं राजस्व रिकार्ड ऑफ राईटस जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज कराने के विधिकतौर पर अधिकारी है। प्रतिवादीगण यह भली भांति जानते है कि वादग्रस्त भूमि ठाकुर जी कल्याणराय जी विराजमान मन्दिर कल्याणराय जी राजमहलों के सामने चौबेपाडा करौली की खातेदारी की है और लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) करौली की भी पूर्ण जानकारी व ज्ञान में हैं। ठाकुर जी कल्याणराय जी की भूमि के सम्बन्ध में पौलू पुत्र दुर्गा तेली एवं प्रतिवादीगण के हक में खातेदारी इन्द्राज विधी अनुसार नही हो सकते हैं और प्रतिवादीगण विधिकतौर पर वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नही है। ठाकुर जी कल्याणराय जी शास्वत नावालिग होने से एवं काश्त नही कर मानव द्वारा काश्त कराते है। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी कल्याणराय जी की भूमि पर किसी मनुष्य को काश्त करनें मात्र से खातेदारी अधिकार विधिकतौर पर प्राप्त नही होते हैं। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार को यह जानकारी होते हुए भी कि भूमि के खातेदार ठाकुर जी कल्याण राय जी है फिर भी प्रतिवादीगण के विरूद्व रैफरेन्स कार्यवाही जानबूझकर नही की है जबकि प्रतिवादी नं0 3 लैण्ड होल्डर को विधिक दायित्व [illegible] प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के हक में उनके पूर्वज पौलू [illegible] कृषक के तौर पर इन्द्राज बिला आधार हैं, अनाधिकार हैं, हक हकूक वादी पर प्रभावहीन व शून्य हैं। वादी विवादग्रस्त आराजीयात की अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज करवाने का अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हैं। प्रतिवादीगण के हक में अनाधिकार तौर पर राजस्व रिकार्ड में हो रहे कृषक इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण के दिमाग मे बदयान्ति आ रही है और वादग्रस्त भूमि को मोटी रकम लेकर विक्रय करने पर उतारू हो रहे हैं। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने भू माफीयाओं से बातचीत प्रारम्भ कर दी है और पैसो के बल पर भूमि विकय कराकर भूमि अकृषी में परिवर्तित कराकर आवासीय उपयोग मे लेने पर भूमि को नष्ट करने पर हस्तान्तरण करने पर ठाकुर जी कल्याणराय जी को नाजायज नुकसान पहुचानें को उतारू है। प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही होने पर वादी ने दिनांक 26.2.2012 के दिवस प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 से वादग्रस्त भूमि ठाकुर कल्याण राय जी की भूमि को बेचान नही करने हस्तान्तरण नही करने को बेचान हस्तान्तरण व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण पत्र पंजीकृत नही कराने को भूमि को अकृषी उपयोग में परिवर्तित नही करने को कहा तब प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम भूमि बेचान करके रहेंगे और ऐसे भूमाफीया व्यक्ति को बेचान करेंगे कि आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही कर पायेगें। प्रतिवादीगण की उक्त कार्यवाही से हक हकूक वादी पर भारी आघात होगा वादी को अपूरणीय क्षति होगी ठाकुर जी के राग भोग, सेवा पूजा की व्यवस्था प्रभावित होगी। ठाकुर जी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगें ठाकुर जी की भूमि जनहित भूमि होती हैं ठाकुर जी वादी के हक में एवम् प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। प्रतिवादीगण की अनाधिकृत कार्यवाही के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर प्रतिवादी नं0 3 लैण्ड होल्डर को सब रजिस्ट्रार करौली को निवेदन किया हैं परन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नही हुई हैं। प्रतिवादीगण हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन करा देंगे। विवादित भूमि कृषी भूमि हैं जो आवासीय भूमि में परिवर्तित कर देंगे एवं नष्ट कर देंगे तथा मंदिर ठाकुर जी को भूमि से वचित कर देगें। मंदिर को भूमि लाभ नही लेने देगें। जिससे मन्दिर वादी के हक हकूक खातेदारी पर भारी आघात होगा [illegible] ति होगी एवं वेजा मुकदमेंवाजी बढेगी। वादी सतीश [illegible] है, ठाकुरजी के राग भोग की व्यवस्था करता है तथा मन्दिर ठाकुर जी का हित चिन्तक हैं वादी को वाद दायर करने का विधिक अधिकार हैं। विनाय मुखास्मत दिनांक 26.2.2012 को दिवस वादी द्वारा प्रतिवादीगण से भूमि को हस्तान्तरण नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

करने को, हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन नही कराने का कहा तो प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने ऐलानिया भूमि हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन कराने की भूमि को अकृषी उपयोग में परिवर्तित कराने की ऐलानिया धमकी दी हैं। प्रतिवादीगण द्वारा अवैध तौर पर खातेदारी इन्द्राज करा लेने से बदनीयती आयी हैं। इसलिये वादी को यह प्रस्तूत करने का वादकारण प्रतिवादीगण के विरूद्व उदय हुआ है। अंत में दावा वादी डिकी किया जावे।

बहस वकील वादी का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का विवेचन किया गया। वादग्रस्त आराजी संवत 2015 बंदोबस्त खतौनी प्रदर्श–2 में कॉलम नंबर 3 में माफी मंदिर कल्याण रायजी पुजारी छीतरराम वगै0 के नाम दर्ज है एवं कॉलम नंबर 5 में फोलु पुत्र दुर्गा कॉम तेली सा देह करौली के नाम दर्ज है एवं जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 में प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी ने भूमि पर मंदिर वादी का कब्जा होना कथन किया है एवं संवत 2015 में प्रदर्श–2 में गलत खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण के पितागण के नाम दर्ज होना बताया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नही कराये है। प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2015 से भूमि वादी मंदिर की खातेदारी में दर्ज होना प्रकट होता है एवं प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 2 के पिता व पितामह फोलु के हक में बिला आधार खातेदारी दर्ज होना प्रकट होता है। वादी मंदिर के हक में खातेदारी घोषणा कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हकदार है। दावा वादी डिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाता है। वादी मंदिर ठाकुरजी कल्याणरायजी विराजमान चौबे पाडा करौली को आराजी खसरा नंबर 8260, 8261 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी के वादी के उपयोग–उपभोग व कब्जेकाश्त में कोई रूकावट व बाधा नहीं करे एवं भूमि को विधि की किसी भी रीति से दीगर व्यक्तियों को हस्तांतरण नहीं करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, करौली को पालनार्थ [illegible]। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी [illegible]

निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] कार्यालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:01:41 IST
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली।

Scanned with OKEN Scanner